



प्रेस नोट-थाना सदर बाजार

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य 20.11.2025

“थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत दहेज प्रताड़ना के कारण जहर खाकर आत्महत्या करने से संबंधित अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर एवं प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के निर्देशन में अपराधों की रोकथाम एवं घटनाओं के सफल अनावरण के क्रम में थाना सदर बाजार पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण - :

दिनांक 11.06.2025 को थाना सदर बाजार पर वादिनी मुन्नी देवी पत्नी राम बहादुर निवासी ग्राम बरीखास, थाना मदनपुर, जनपद शाहजहाँपुर के प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 357/2025, धारा 85/115(2)/108 बी.एन.एस. बनाम 1.मोनू वर्मा पुत्र नत्थू लाल 2.रामनाथ वर्मा पुत्र उजागर वर्मा 3.कलावती पत्नी रामनाथ वर्मा 4.मोनी पुत्री रामनाथ वर्मा, 5.प्रवीन पुत्र रामनाथ वर्मा, निवासीगण मोहल्ला बीबीजई, हदफ, कुम्हारों वाला मंदिर, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर, द्वारा वादिनी की पुत्री पूनम को कम दहेज लाने के कारण मारपीट कर प्रताड़ित करने, जिससे परेशान होकर उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया। अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आज दिनांक 20.11.2025 को सतत एवं गहन पतारसी-सुरागरसी की गई। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त मोनू पुत्र रामनाथ, निवासी मोहल्ला बीबीजई, हदफ, निकट कुम्हारों वाला मंदिर, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर को छोटा कुतवा की ओर जाने वाले ककरा रोड पर समय करीब 13:21 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

मोनू पुत्र रामनाथ नि0 मो0 बीबीजई हदफ निकट कुम्हारों वाला मंदिर थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 33 वर्ष

गिरफ्तारी स्थान व समय:-

दिनांक 20.11.25 को समय करीब 13.21 बजे छोटा कुतवा के रास्ते ककरा रोड थाना सदर बाजार जिला शाहजहाँपुर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0-357/2025 धारा 85/115(2)/108 बी.एन.एस बनाम थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी पूछताछ अभियुक्त :- मोनू पुत्र रामनाथ नि0 मो0 बीबीजई हदफ निकट कुम्हारों वाला मंदिर थाना सदर बाजार

जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 33 वर्ष मो0-9792279975 बता रहा है कि मैं कक्षा 9 तक पढा लिखा हूँ तथा मेहनत मजदूरी करके अपना तथा अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ मेरी शादी वर्ष 2009 में पूनम पुत्री रामबहादुर नि0 ग्राम बरीखास थाना मदनपुर जनपद शाहजहाँपुर के साथ हुयी थी। बिदा होकर मेरी पत्नी मेरे घर आयी थी तथा 5-6 महिने के बाद से ही मेरे उपर दवाब बनाकर मेरे माता पिता से अलग रहने की जिद करने लगी। मैं किसी तरह से समझाबुझाकर उसको मनाता रहा। लेकिन शुरु से ही जिद्दी प्रवृति की थी तथा अपने मायके पक्ष के माता व भाईयों की बातें ज्यादा सुनती थी। आखिरकार शादी के लगभग डेढ़ वर्ष के बाद जब मेरा बेटा हिमांशू पैदा हुआ तब मेरी पत्नी ने जिद करके मेरे माता, पिता व भाई बहन से मुझे अलग करा दिया। मैं तथा मेरी पत्नी उसी मकान में उपर के कमरे में अपने बच्चे के साथ रहने लगे हमारे कुल तीन बच्चें हुये जिसमें सबसे बड़ा

बेटा हिमांशू उसके बाद वंश उसके बाद कृष्णा है। हमलोगो का चूल्हा चौका भी अलग हो गया। मेरे घर में सास ससुर व साले भी आते थे तथा रुकते थे। मैं भी अपनी ससुराल जाता था तथा कई दिन तक रुकता था। ससुराल में ही मेरी मुलाकात हमारे ससुर के घर के 2 घर बगल में स्थित निशा से हुयी। धीरे धीरे मेरी व निशा से फोन पर बातचित होने लगी मेरी पत्नी को जब इसकी जानकारी हुयी तो उसने इसका विरोध किया। फिर हमारी बातचीत कम हो गयी लेकिन मेरी पत्नी को हमेशा शक रहता था गुस्से में कभी कभी मैं अपनी पत्नी को मारपीट भी देता था तथा एक दो बार मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि यदि तुम बात करना बंद नहीं करोगे तो मैं जहर खाकर जान दे दूंगी। तो मैंने भी कहा कि जाओ मर जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब घटना के पहले मैं तथा मेरी पत्नी व वच्चें अपनी भांजी की शादी में गये थे। वहां से मैं पहले वापस आ गया बाद में मेरी पत्नी व वच्चें आये थे। उसी दिन मेरी पत्नी से वाद विवाद हुआ। उसने मुझसे कहा की तुम अकेले क्यों चले आये हमे क्यों नहीं लाये और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने लगी। इसी बात पर मैंने उससे कहा कि जाओ मर जाओ तुम्हारे मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद मैं सो गया। मेरी पत्नी अकेले वाहर गयी और कहीं से सल्फास की गोली लाकर खा ली तथा उसकी सूचना मेरी सास को दिया। बाद में बड़ा बेटा मेरे साले मेरी पत्नी को बम्बा हास्पिटल में ले गये। बाद में मैं भी गया। स्थिति काफी सीरियस थी बरेली दीपमाला हास्पिटल में इलाज के दौरान ही मेरी पत्नी का देहांत हो गया। मैं तथा मेरा साला तथा मेरा बेटा डेड वाडी लेकर घर आये तथा दाह संस्कार किया। साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गयी। मुझे क्षमा कर दीजिये। बाकी अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से न्यायालय में दूंगा।

घटना का सफल अनावरण व अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. निरीक्षक विनोद कुमार यादव थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर
2. उ0नि0 उ0नि0 श्री सौरभ शुक्ला थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर
3. का0 417 अंकित चौहान थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर
4. का0 1757 संजय पोसवाल थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर

